भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1880
दिनांक 30 जुलाई, 2026

बागपत में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार

1880. **डॉ. राजकुमार सांगवानः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और किफायती ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पाइप के द्वारा नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक बिछाई गई पीएनजी पाइपलाइन की लंबाई, प्रदान किए गए घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों की संख्या तथा निर्माणाधीन कार्यों का शहर-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिकतम परिवारों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष शहरों, कस्बों और पात्र ग्रामीण क्षेत्रों तक पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के तहत आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्य योजना, संभावित समय-सीमा, निवेश, वित्तीय प्रावधानों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नेटवर्क और नगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकरण प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। पीएनजीआरबी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) को बरौनी-गुवाहाटी (बीजीपीएल) के विस्तार और धामरा-हल्दिया (डीएचपीएल) तक की सहायक लाइन के साथ गेल (इंडिया) लिमिटेड को अधिकृत किया है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और किफायती ईंधन की उपलब्धता बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 335 किमी के कुल पाइपलाइन नेटवर्क में से पूरी लंबाई चालू हो चुकी है और कार्यरत है। यह पाइपलाइन राज्य के भीतर 8 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज़) को कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराना और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह कार्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 43 जीएज़ को अधिकृत किया है। 31.05.2026 तक, अधिकृत कंपनियों ने 23,06,333 पीएनजी(डी) कनेक्शन प्रदान किए हैं, 1,375 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और राज्य भर में 51,862 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है।

बागपत लोकसभा क्षेत्र बागपत जिले के अंतर्गत आता है और थिंक गैस बागपत प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। अधिकृत कंपनियों द्वारा पीएनजीआरबी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार और अनुमोदित परियोजना योजना के अनुसार सीजीडी अवसंरचना का निर्माण और निवेश किया जा रहा है। न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लयूपी) के लक्ष्यों के अनुसार, अधिकृत कंपनी को 2025 तक इस क्षेत्र में लगभग 10,496 पीएनजी(डी) कनेक्शन और 650 इंच-किमी पाइपलाइन उपलब्ध करानी है। 31.05.2026 तक, अधिकृत सीजीडी कंपनी ने इस क्षेत्र में 5,448 पीएनजी(डी) कनेक्शन, 16 पीएनजी वाणिज्यिक कनेक्शन, 58 पीएनजी औद्योगिक कनेक्शन, 15 सीएनजी स्टेशन और 832 इंच-किमी पाइपलाइन अवसंरचना उपलब्ध करा दी है।

पीएनजीआरबी ने सीजीडी कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएनजीआरबी ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देना और गैर-बिल वाले ग्राहकों को सक्रिय करना है, जिसका समग्र लक्ष्य विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना है। इस पहल के तहत, सरकार और अधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

i. घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक पीएनजी की कनेक्टिविटी का विस्तार;
ii. जुड़े हुए परिवारों को सक्रिय बिलिंग वाले उपभोक्ताओं में परिवर्तित करना; जागरूकता अभियान और उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम;
iii. राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके वैधानिक अनुमतियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करना; और
iv. उपभोक्ता-हितैषी उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाएं और सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रचार योजनाएं शामिल हैं।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है, देरी होने पर स्वतः स्वीकृतियाँ प्रदान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। यह आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुँच संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है, जिसमें गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाती हैं, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाएँ दूर हो जाती हैं।
